प्रेस नोट

दिनांक- 07.08.2024

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में अपराध गोष्ठी कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई !

आज दिनांक 07.08.2024 को पुलिस लाइन सभागार में सैनिक सम्मेलन व मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति द्वारा गोष्ठी कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी। अपर पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात, समस्त क्षेत्राधिकारी गण तथा समस्त थाना प्रभारी गोष्ठी में शामिल हुए तथा गोष्ठी में भा0द0वि0/बीएनएस0 के अपराध, महिला उत्पीड़न, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधी अपराध व निरोधात्मक कार्यवाही की मासिक समीक्षा व प्रगतिशील सूचना एवं श्रावण मास, राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, आगामी त्यौहार रक्षाबन्धन व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये।

गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी-

1. अनावरण हेतु शेष अभियोगों की समीक्षा।
2. थानो पर लम्बित विवेचनाओ के निस्तारण,वांछित अभियुक्तों, पुरस्कार घोषित अपराधियों, वारण्टियों की गिरफ्तारी, शिकायती प्रार्थना पत्र के निस्तारण।
3. पूर्व की लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण की समीक्षा की गई।
4. बरामदगी हेतु शेष अपहृत/अपहृता की समीक्षा की गई।
5. गुमशुदा बच्चों की सूची बरामदगी अभी भी शेष है कि समीक्षा की गई।
6. आई0जी0आर0एस /जनसुनवाई प्रार्थना पत्रों के निस्तारण स्थिति तथा फीडबैक (संतोषजनक/असंतोषजनक) के संबंध में समीक्षा की गई।
7. धारा 14(1) गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की समीक्षा की गई।
8. आपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों के पैरवी की स्थिति की समीक्षा की गई।
9. ऑपरेशन दृष्टि/ऑपरेशन त्रिनेत्र के दृष्टिगत समस्त थाना क्षेत्रों में संवेदनशील व भीड़भाड़ वाले जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।
10. पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पर लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा
11. आई रेड ऐप्प पर सड़क दुर्घटनाओं की फिडिंग की समीक्षा
12. लम्बित चरित्र सत्यापन संबंधी प्रकरणों के संबंध में समीक्षा की गई एवं उपरोक्त सभी प्रकरणों में ध्यान केन्द्रित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
13. जनपदीय अभिसूचना तंत्र को सक्रिय कर समस्त प्रकार के प्रतिबन्धित संगठनों/अवैध शस्त्रों/कारतूसों/शराब/विस्फोटक पदार्थों/मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सतर्क दृष्टि रखने हेतु निर्देशित किया गया।
14. सोशल मीडिया पर जातिगत/सांप्रदायिक/भ्रामक/अफबाह फैलाने वाली पोस्ट पर त्वरित विधिक कार्यवाही करने एवं उच्चाधिकारियों को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।
15. जनपद में भीड़-भाड़ वाले इलाके/घनी वस्ती/बस स्टैण्ड/रेलवे स्टेशन/संदिग्ध व्यक्तियों/संदिग्ध वाहनों की आकस्मिक चेकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया।

महोदय द्वारा श्रावण मास, आगामी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), रक्षाबन्धन/श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु विधिवत ब्रीफ कर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगायी जाये। उक्त त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु सूचीबद्ध कर सुरक्षा/यातायात व्यवस्था हेतु प्रभावी व्यवस्थापन किया जाये एवं समस्त कार्यक्रम स्थलों पर विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किया जाये।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गोष्ठी में चर्चा करते हुए "जागते रहो" के संबंध में चर्चा करते हुए अभियान को सफल बनाने हेतु रात्रि में भ्रमणशील रहने तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि बनाये रखने हेतु हिदायत दी गयी। महोदय द्वारा गोष्ठी में मिशन शक्ति अभियान को सफल बनाने हेतु महिलाओं/ बालिकाओं को जागरूक करने, साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु अभियान चलाकर आम-जनमानस को जागरूक करने, लम्बित शिकायती प्रार्थना पत्रों तथा अपहृताओं की शीघ्र बरामदगी करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।

महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि थाने पर आने वाले आगन्तुकों/ फरियादियों/ जनप्रतिनिधियों/पत्रकार बंधुओं के साथ विनम्र व शालीन व्यवहार करें, जिससे कि आम जनता बिना किसी भय के अपनी शिकायतों के निस्तारण हेतु थानों पर आ सके। फरियादियों की शालीनतापूर्वक समस्याओं को सुनकर तत्काल निष्पक्ष आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए समयबद्ध व गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।